न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 15/2023

श्री दुर्गा लाल पुत्र कल्याण धोबी निवासी वा.न. 19 नसिया कॉलोनी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बूंदी राज. ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार नगरफोर्ट ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 7.05.2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार नगरफोर्ट को आवेदन पत्र दिनांक 05.02.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

1 श्री दुर्गा लाल पुत्र कल्याण धोबी तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राजस्थान ग्राम भाकरवाडी में राजस्व रिकॉर्ड में कल्याण पुत्र भूरा कोम धोबी सा0 बोसारिया के नाम की जमाबंदी संवत 2018 से 2047 तक सेटलमेंट की नकल की प्रमाणित प्रति दी जावे।

2 बिंदु संख्या 2 में अंकित खसरों की जमाबंदी यदि विलोपित नाम होने पर किसी दस्तावेज़ से विलोपित हुआ जिसकी नकल खसरा नंबर 116/2/2, 123/1/2, 199/1/1/2 सम्बत 2029—2032 जमाबंदी के हाल मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति दी जावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार नगरफोर्ट को पत्र कमांक 362 दिनांक 26.03.2024, 383 दिनांक 09.04.2024 व 405 दिनांक 24.04.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार नगरफोर्ट ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार नगरफोर्ट को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार नगरफोर्ट तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक